20/4/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रा.पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर है विस्तृत निर्णय शामिल किया गया नंबर से दर्ज हो

निर्णय सुनाया गया

GCMS 2025/529

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:35 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

लखेश्वरी आदि बनाम पुरखाराम आदि

किस्म मुकदमाः–आदेश 39 नियम 2 (ए) सीपीसी — प्रकरण संख्याः– 221/2025

GCMS:-2025/529

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2026	उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। दोनो पक्षो को सुना गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 24 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ के चक 41 पीबीएन खाता नं0 54/91 की कुल 6.072 है0 भूमि में प्रार्थीया का 169/6072 हिस्सा खातेदारी भूमि हैं। इसके अलावा इसी चक के खाता नं0 55/40 की 9.727 है0 भूमि में प्रार्थी नं0 1 का 1/36 हिस्सा व प्रार्थी नं0 2 का 1012/9727 हिस्सा खातेदारी भूमि हैं। जमाबंदी शामिल पत्रावली हैं। प्रार्थी नं0 1 द्वारा सहीराम पुत्र मलूराम व प्रार्थी नं0 2 द्वारा बृजलाल पुत्र श्री लालूराम से भूमि खरीद की हैं। सहीराम पुत्र मलूराम व बृजलाल पुत्र लालूराम ने घरू बंटवारा शेष संयुक्त खातेदारो के साथ कर रखा था। खरीद के समय प्रार्थी नं0 1 को चक 41 पीबीएन खाता नं0 54/91 प0न0 66/379 कि0न0 15/0.169 है0 पासा पूर्वी व इसके अलावा प्रार्थी नं0 1 व 2 को इसी चक 41 पीबीएन खाता नं0 55/40 प0न0 75/376 कि0न0 16 ता 20/1.012 है0, 25/0.017 है0 पासा उतरी कुल 1.282 है0 भूमि का कब्जा सौंपा गया था। जिस पर प्रार्थीगण काबिज हैं। इस भूमि पर न्यायालय द्वारा स्थगन जारी हैं। स्थगन जारी होने के बाद भी दिनांक 22.07.2025 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कि0न0 20 पर जबरन कब्जा कर चावल की फसल काश्त कर दी हैं एवं कि0न0 17 से विधूत क्नेकशन नही हटा रहें हैं। अप्रार्थीगण द्वारा जानबुझ कर न्यायालय के आदेश एवं गरिमा की अवहेलना की हैं। इसलिये अप्रार्थीगण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें एवं कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जावें। अप्रार्थी नं0 2 ने जरिये वकील हाजिर आकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधा अधूरा तथा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के पेश किया हैं साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित नही हैं। मात्र प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि हैं। जो कि साक्ष्य में शामिल नही की जा सकती। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथमतयाः इसी बिन्दू पर खारीज योग्य हैं दूसरा कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित रकबा संयुक्त खाता में हैं। जिसका खाता विभाजन का वाद स0 191/2025 श्रीमानजी के समक्ष विचाराधी[illegible] खाता विभाजन से पूर्व से पूर्व प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक [illegible] कब्जा [illegible] हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा इसी प्रकार का [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] 153/25 अनवान लखेश्वरी आदि बनाम ओमप्रकाश आदि में दिनांक 26.11[illegible]5 को पेश किया था। ....लगातार 2 पर	

.................लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:35 IST
Reason: SelfAttested

आदेशिका–पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20.04.2026	जिसमें तहसीलदार सूरतगढ द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि संयुक्त खाता की भूमि में कौन–कौन काश्तकार किस भूमि पर काबिज हैं। यह तथ्य तय किया जाना सम्भव नही हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनने के बाद दोनो पक्षकारो को विवादित भूमि की मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पांबद किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र यह प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनो के आधार पर बिना किसी ठोस साक्ष्य के विधि विरूद्व पेश किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 (ए) सीपीसी निरस्त फरमाया जावें।
	बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधा–अधूरा हैं प्रार्थना पत्र के साथ कोई भी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई हैं। मात्र फोटो प्रति पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। इसके अलावा उभय पक्ष के मध्य खाता विभाजन का वाद जैर कार हैं। खाता विभाजन से पूर्व किसी भी खातेदार को इन नियमो के तहत बेदखल नही किया जा सकता हैं। संयुक्त भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का इन्च इन्च भूमि पर कब्जा माना जाता हैं। मात्र कहने पर किसी पक्षकार का कब्जा नही माना जा सकता हैं। कब्जा का प्रश्न वादपत्र में दोनो पक्षो की साक्ष्य आने के उपरान्त तय होगा। प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए विचाराधीन हैं। दोनो पक्षो को विवादित भूमि मौका की यथास्थिति रखने हेतु पांबद किया गया हैं। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को साबित करने में असफल रहें हैं। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हम निरस्त करना उचित समझते हैं।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ	अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 (ए) सीपीसी आधा–अधूरा एवं विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त फरमाया जाता हैं।
	निर्णय सरे इजलाश सुनाया गया।
	Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2026.04.21 18:39:35 IST Reason: SelfAttested
	उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ